11.3.26 | उभय पक्ष उपस्थित। वकील उपस्थित। वाद-पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया। जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय अनुसार पक्षकार डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश, सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/367

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 281/2023 ACMS:-2023/367 दायर दिनांक : 20.10.2023

1. गोपाल पुत्र भूपनाथ } अकवाम नाथ साकिनान किशनपुरा आबादी
2. सोनू पुत्री भूपनाथ } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रवि } माता रोशनी पुत्री भूपनाथ पत्नी विनोद नाथ जाति नाथ साकिन किशनपुरा आबादी नाबालिगान जरिये कुदरती बली संरक्षक नानी सुमित्रा पत्नी भूपनाथ जाति नाथ
4. पायल } साकिन किशनपुरा आबादी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. सुमित्रा पत्नी भूपनाथ जाति नाथ साकिन किशनपुरा आबादी तहसील सूरतगढ़

—वादीगण

बनाम

1. भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ } अकवाम नाथ साकिनान रघुनाथपुरा
2. हीरा पुत्री भूपनाथ } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

— —

प्रकरण सं. : 230 दायर दिनांक : 20.10.2023

1. गोपाल पुत्र भूपनाथ } अकवाम नाथ साकिनान किशनपुरा आबादी
2. सोनू पुत्री भूपनाथ } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रवि } माता रोशनी पुत्री भूपनाथ पत्नी विनोद नाथ जाति नाथ साकिन किशनपुरा आबादी नाबालिगान जरिये कुदरती बली संरक्षक नानी सुमित्रा पत्नी भूपनाथ जाति नाथ
4. पायल } साकिन किशनपुरा आबादी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. सुमित्रा पत्नी भूपनाथ जाति नाथ साकिन किशनपुरा आबादी तहसील सूरतगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ } अकवाम नाथ साकिनान रघुनाथपुरा
2. हीरा पुत्री भूपनाथ } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपस्थित :
1. श्री राम प्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक वादीगण/प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 11.03.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 व 209 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1, वादीगण सं. 1–2 के पिता व वादीगण सं. 3–4 के नाना एवं वादीया सं. 5 के पति हैं। प्रतिवादीया सं. 2, प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है। वादीगण के पिता/पति/नाना प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के संयुक्त खाता सं. 89/82 के पत्थर नं. 154/26 (32) के किला नं. 1 से 10/2.530 है0, 11/2 में 0.051 है0, 12/2 में 0.139 है0, 13/1 में 0.215 है0, 14–15/0.506 है0, 16/1 में 0.089 है0, 17/1 में 0.089 है0, 18/1 में 0.139है0, 19/1 में 0.190 है0, 20/1 में 0.240 है0, 21 से 25/1.265 है0 = 5.453 है0 अनकमाण्ड भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं वाके चक 5 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के संयुक्त खाता सं. 88/86 के पत्थर नं. 93/49 (49) के किला नं. 14/0.253 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17/1 में 0.139 है0, 18/1 में 0.202 है0, 24/1 में 0.190 है0, 25/2 में 0.076है0, 25/3 में 0.025 है0 = 1.391 है0, पत्थर नं. 93/50 (59) के किला नं. 4/0.253 है0, 5/1 में 0.190 है0, 5/3 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0 = 0.974 है0, पत्थर नं. 93/57 (48) के किला नं. 11/1 में 0.215 है0, 12/1 में 0.240 है0, 19/1 में 0.127 है0, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 में 0.240 है0, 22/1 में 0.215 है0 = 1.265 है0 व पत्थर नं. 93/58 (60) के किला नं. 1/1 में 0.101 है0, 2/1 में 0.240 है0, 3/0.253 है0, 8/1 में 0.240 है0, 9/1 में 0.101 है0, 10/1 में 0.228 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

11/0.253 है0, 12/1 में 0.228 है0, 13/1 में 0.101 है0 = 1.745 है0, कुल 5.375 है0 (5.225 है0 कमाण्ड व 0.150 है0 खाला) खातेदारी भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि एवं रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 83/83 के खसरा नं. 4/2 में 2.998 है0 व खसरा नं. 4/3 में 0.405 है0, कुल 3.403 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि तथा इसी रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 72/69 के खसरा नं. 176/4 में 0.759 है0 बारानी भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो पूर्व में वादीगण के दादा/ससुर/पड़नाना सुरजनाथ पुत्र कुंभनाथ के नाम दर्ज थी और उनके स्वर्गवास उपरान्त वादीगण के पिता/पति/नाना प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ के नाम विरासतन दर्ज हुई है। प्रतिवादी सं. 1 के वादीगण सं. 1–2, वादीगण सं. 3–4 की माता रोशनी, वादीया सं. 5 व प्रतिवादीया सं. 2, इस प्रकार कुल 5 जायज वारिस हैं। उक्त रकबा पैतृक रकबा की श्रेणी में आता है जिसमें वादीगण का 4/6 हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं. 1 शराबी, नशेड़ी व बदयान्त किस्म का व्यक्ति है जो वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को हड़पना चाहता है। वादीगण ने मौजीज व्यक्तियों को पंचायत बुलाई जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ने अपने उक्त जैरवाद पैतृक रकबा में से 4/6 हिस्सा रकबा वादीगण को दे दिया जिस पर वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। जैरवाद रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से अपने नशे की पूर्ति हेतु वो इसे बेचान करने पर उतारू है, इसलिए वादीगण ने वाद–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित जैरवाद पैतृक रकबा में से वादीगण को 4/6 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करने व वाद निर्णय तक इसे रहन–बैय नहीं करने व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द किया जाना निवेदन किया। वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते स्थगन आदेश प्रस्तुत हुआ जो प्रा.प.सं. 260 दिनांक 20.10.2023 पर दर्ज हुआ। दोनों सम्बन्धित पत्रावलियां होने से दोनों पर एक साथ विचार कर निर्णय किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1–2 के विरुद्ध दिनांक 08.07.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। जवाब स्टेट प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 18.12.2025 को जवाब स्टेट बन्द किये गये। जवाब ना आने पर तनकीयात कायम न कर वाद में पुष्टि के साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों पर प्रदर्श अंकित करवाये गये एवं वादी सं. 1 गोपाल पुत्र भूपनाथ का शपथ–पत्र वाद की पुष्टि में प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिरह शून्य रही। वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य नहीं कराने पर साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण नहीं कराये गये। बाद साक्ष्य बहस सुनी गयी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व जैरवाद संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के संयुक्त खाता सं. 89/82 में अंकित कुल 5.453 है0 अनकमाण्ड भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि एवं वाके चक 5 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के संयुक्त खाता सं. 88/86 में अंकित कुल 5.375 है0 (5.225 है0 कमाण्ड व 0.150 है0 खाला) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/8 हिस्सा भूमि एवं रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 83/83 में अंकित कुल 3.403 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि तथा इसी रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 72/69 में अंकित कुल 0.759 है0 बारानी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि को पैतृक हिन्दू परिवार की सहदायी सम्पत्ति बताते हुए पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य वाला जमाबन्दियों का अवलोकन करवाया एवं शपथ–पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य से वाद को पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर प्रश्नगत प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि में से वादीगण सं. 1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर, घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण के घोषित हिस्से में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की।

बाद अवलोकन व विचारण इस मामले में अदालत मुख्य रूप से विचारण विषय यह पाती है कि क्या प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ को प्रश्नगत सम्पत्ति बतौर वारिस पिता से प्राप्त हुई है व यह सम्पत्ति हिन्दू सहदायी परिवार की सम्पत्ति है तथा वादीगण हिन्दू सहदायी परिवार के सदस्य हैं व इन पर हिन्दू विधि प्रभावशील है ? इस दृष्टि से विचारण करने पर यह बात दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दियों में अंकन से पूर्ण रूप से सिद्ध होती है कि प्रश्नगत वाद की कृषि भूमि मूल रूप से सूरजनाथ की थी जो बाद मृत्यु सूरजनाथ प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ को बतौर वारिस विरासतन व जरिये हकत्याग–पत्र प्राप्त हुई है। स्पष्टतः यह भूमि हिन्दू सहदायी परिवार की कृषि भूमि है। वादीगण ने शपथ–पत्र के माध्यम से इसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। अभिभाषक वादीगण द्वारा हिन्दू विधि का अवलोकन करवाया गया, जिससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध है कि प्रश्नगत कृषि भूमि अविभक्त हिन्दू परिवार की सहदायी सम्पत्ति है। धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम इस पर पूर्ण रूप से प्रभावशील होता है। वादीगण के शपथ–पत्र के अतिरिक्त प्रतिशपथ–पत्र अथवा जवाब आपत्ति वाद प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित है, जिसका लाभ उठाकर विधि विपरीत हस्तान्तरण हो सकता है जिससे वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। हिन्दू मिताक्षरा में सहदायी की अवधारणा प्रभावशील है जिसमें सहदायी सदस्य पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में उसके नाम अंकित सहदायी भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण पूर्ण रूप से सिद्ध होने से स्वीकार कर संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि [illegible] चक 2 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] से 2078 के संयुक्त खाता सं. 89/82 के पत्थर नं. 154/26 (32) के किला नं. 1 से 10/2.530 है0, 11/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में 0.051 है0, 12/2 में 0.139 है0, 13/1 में 0.215 है0, 14–15/0.506 है0, 16/1 में 0.089 है0, 17/1 में 0.089 है0, 18/1 में 0.139 है0, 19/1 में 0.190 है0, 20/1 में 0.240 है0, 21 से 25/1.265 है0 = 5.453 है0 अनकमाण्ड भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं. 1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार वाके चक 5 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के संयुक्त खाता सं. 88/86 के पत्थर नं. 93/49 (49) के किला नं. 14/0.253 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0, 17/1 में 0.139 है0, 18/1 में 0.202 है0, 24/1 में 0.190 है0, 25/2 में 0.076 है0, 25/3 में 0.025 है0 = 1.391 है0, पत्थर नं. 93/50 (59) के किला नं. 4/0.253 है0, 5/1 में 0.190 है0, 5/3 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0 = 0.974 है0, पत्थर नं. 93/57 (48) के किला नं. 11/1 में 0.215 है0, 12/1 में 0.240 है0, 19/1 में 0.127 है0, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 में 0.240 है0, 22/1 में 0.215 है0 = 1.265 है0 व पत्थर नं. 93/58 (60) के किला नं. 1/1 में 0.101 है0, 2/1 में 0.240 है0, 3/0.253 है0, 8/1 में 0.240 है0, 9/1 में 0.101 है0, 10/1 में 0.228 है0, 11/0.253 है0, 12/1 में 0.228 है0, 13/1 में 0.101 है0 = 1.745 है0, कुल 5.375 है0 (5.225 है0 कमाण्ड व 0.150 है0 खाला) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/8 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं. 1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 83/83 के खसरा नं. 4/2 में 2.998 है0 व खसरा नं. 4/3 में 0.405 है0, कुल 3.403 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा इसी रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 72/69 के खसरा नं. 176/4 में 0.759 है0 बारानी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं. 1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त दोनों खातों/पश्चात्वर्ती जमाबन्दियों में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित रकबा में से 4/6 हिस्सा रकबा कलमजन कर मुताबिक घोषणा वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, शेष 2/6 हिस्सा रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगा। यदि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित जैरवाद रकबा रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन हिस्सा अनुसार वादीगण के नाम अंकित किया जावे और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व वादीगण का भी रहेगा। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के घोषित रकबा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। डिक्री जारी हो। प्रार्थना–पत्र बाबत स्थगन आदेश पत्रावली संख्या 230/2023 मूल वाद के चलन के दौरान ही चलने योग्य है। चूंकि मूल वाद वादीगण स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए इसके साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय की नकल रखी जावे। दोनों पत्रावलियां बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक ...11.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत — सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास — भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :—

1. गोपाल पुत्र भूपनाथ
2. सोनू पुत्री भूपनाथ

} अकवाम नाथ साकिनान किशनपुरा आबादी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. रवि
4. पायल

} माता रोशनी पुत्री भूपनाथ पत्नी विनोद नाथ जाति नाथ साकिन किशनपुरा आबादी नाबालिगान जरिये कुदरती बली संरक्षक नानी सुमित्रा पत्नी भूपनाथ जाति नाथ साकिन किशनपुरा आबादी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

5. सुमित्रा पत्नी भूपनाथ जाति नाथ साकिन किशनपुरा आबादी तहसील सूरतगढ़

—वादीगण

बनाम

1. भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ
2. हीरा पुत्री भूपनाथ

} अकवाम नाथ साकिनान रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 281 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल किंतई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री राम प्रताप तिवाड़ी व पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण पूर्ण रूप से सिद्ध होने से स्वीकार कर संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के संयुक्त खाता सं. 89/82 के पत्थर नं. 154/26 (32) के किला नं. 1 से 10/2.530 है0, 11/2 में 0.051 है0, 12/2 में 0.139 है0, 13/1 में 0.215 है0, 14—15/0.506 है0, 16/1 में 0.089 है0, 17/1 में 0.089 है0, 18/1 में 0.139 है0, 19/1 में 0.190 है0, 20/1 में 0.240 है0, 21 से 25/1.265 है0 = 5.453 है0 अनकमाण्ड भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं. 1—2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3—4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार वाके चक 5 आर.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के संयुक्त खाता सं. 88/86 के पत्थर नं. 93/49 (49) के किला नं. 14/0.253 है0, 15/1 में 0.228 है0, 15/2 में 0.025 है0, 16/1 में 0.228 है0, 16/2 में 0.025 है0 [illegible] में 0.139 है0, 18/1 में 0.202 है0, 24/1 में 0.190 है0, 25/2 में 0.076 है0, 25/[illegible] 0.025 है0 = 1.391 है0, पत्थर नं. 93/50 (59) के किला नं. 4/0.253 है0, 5/1 [illegible] 0.190 है0, 5/3 में 0.025 है0, 6/1 में 0.228 है0, 6/2 में 0.025 है0, 15/1 में 0.2[illegible] है0, 15/2 में 0.025 है0 = 0.974 है0, पत्थर नं. 93/57 (48) के किला नं. 11/1 में 0.215 है0, 12/1 में 0.240 है0, 19/1 में

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

0.127 है0, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 में 0.240 है0, 22/1 में 0.215 है0 = 1.265 है0 व पत्थर नं. 93/58 (60) के किला नं. 1/1 में 0.101 है0, 2/1 में 0.240 है0, 3/0.253 है0, 8/1 में 0.240 है0, 9/1 में 0.101 है0, 10/1 में 0.228 है0, 11/0.253 है0, 12/1 में 0.228 है0, 13/1 में 0.101 है0 = 1.745 है0, कुल 5.375 है0 (5.225 है0 कमाण्ड व 0.150 है0 खाला) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/8 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं. 1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के संयुक्त खाता सं. 83/83 के खसरा नं. 4/2 में 2.998 है0 व खसरा नं. 4/3 में 0.405 है0, कुल 3.403 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं. 1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा इसी रोही रघुनाथपुरा बारानी तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 72/69 के खसरा नं. 176/4 में 0.759 है0 बारानी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भूपनाथ पुत्र सूरजनाथ के नाम अंकित 1/4 हिस्सा भूमि में से वादीगण सं. 1–2 व 5 को 3/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं वादीगण सं. 3–4 को 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त दोनों खातों/पश्चात्वर्ती जमाबन्दियों में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित रकबा में से 4/6 हिस्सा रकबा कलमजन कर मुताबिक घोषणा वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, शेष 2/6 हिस्सा रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगा। यदि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित जैरवाद रकबा रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन हिस्सा अनुसार वादीगण के नाम अंकित किया जावे और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व वादीगण का भी रहेगा। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के घोषित रकबा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11.03.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़